P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG
Government of India
Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 5th October, 2021

Clarification regarding MoPNG's Resolution No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 08th November, 2019 regarding Marketing Authorisation for Transportation Fuels

No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG – The Government of India had issued the Resolution No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 08th November, 2019 with the objective of increasing private sector participation while also encouraging dispensing of alternate fuels and augmentation of retail network in remote areas and ensuring higher levels of customer service.

2. Meanwhile, the Government has also been receiving requests for clarification of various modalities and clauses under the said Resolution, including queries regarding the order in which the facilities for conventional fuels (MS and HSD) and alternate fuel facilities are to be set up at the retail outlets. Under the said Resolution, while an authorized entity is required to set up its retail outlets for MS and HSD, its Clause 6.1.3 also provides that the said entity is required to install facilities for at least one new generation alternate fuels like CNG, biofuels, LNG, electric vehicle charging points etc. at the proposed retail outlets. In this regard, it is clarified that the Resolution does not prescribe the order in which the dispensation of conventional transportation fuels (MS and HSD) and the new generation alternate fuels would be started, i.e., dispensation of bio-fuels and CNG, EV charging can be started before dispensing of MS & HSD.

3. However, the authorised entities will have to comply with other conditions with regard to setting up of Retail Outlets, including compliance requirement for Remote area obligation and Universal Service obligation as contained in paras 6.2.2, 6.2.3 & 6.2.4 of the Resolution.

[F. No.M-12029(11)/02/2018-OMC-PNG]

(A.K. Sinha)
Under Secretary to the Government of India

पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी
भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2021

<u>परिवहन ईंधन के लिए विपणन प्राधिकार के संबंध में एमओपीएनजी की दिनांक 08 नवंबर, 2019 की संकल्प संख्या पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी के संबंध में स्पष्टीकरण</u>.

सं.पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी - भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, साथ ही वैकल्पिक ईंधन के वितरण को प्रोत्साहित करने और दूरदराज के क्षेत्रों में खुदरा नेटवर्क का विस्तार और ग्राहक सेवा के उच्चतर स्तर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 08 नवंबर, 2019 को संकल्प संख्या पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी जारी किया था।

2. इस बीच, सरकार को उक्त संकल्प के तहत विभिन्न तौर-तरीके और खंडों के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध भी प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पारंपरिक ईंधनों (एमएस और एचएसडी) की सुविधाएं और वैकल्पिक ईंधन सुविधाओं को स्थापित करने के क्रम से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। उक्त संकल्प के तहत, जब एक अधिकृत कंपनी को एमएस और एचएसडी के लिए अपना खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करना अपेक्षित होता है, इसके खंड 6.1.3 में यह भी प्रावधान है कि उक्त कंपनी को प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों पर नई पीढ़ी का कम से कम एक वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, जैव ईंधन, एलएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट आदि से संबंधित सुविधाएं स्थापित करना अपेक्षित है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संकल्प उस क्रम को निर्धारित नहीं करता है जिसमें पारंपरिक परिवहन ईंधन (एमएस और एचएसडी) और नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधनों का वितरण शुरू किया जाएगा, अर्थात् एमएस और एचएसडी के वितरण से पहले जैव-ईंधन और सीएनजी, ईवी चार्जिंग की सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं।

3. तथापि, अधिकृत कंपनियों को खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना के संबंध में अन्य शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें संकल्प के पैरा 6.2.2, 6.2.3 और 6.2.4 में यथा निहित दूरस्थ क्षेत्र दायित्व और सार्वभौमिक सेवा दायित्व हेतु अनुपालन की मांग शामिल है।

[फा. सं.एम-12029(11)/02/2018-ओएमसी-पीएनजी]

अकु सिन्हा.

(ए.के. सिन्हा)
अवर सचिव, भारत सरकार।